उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-90/2019/1302/92-2-19-18एम/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 14 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद संतरविदास नगर (भदोही) में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत 03 मार्ग महाराजगंज से चौरा मार्ग, असनांव से जी0टी0 रोड व माधव सिंह जी0टी0 रोड से खमरिया होते हुये टेढवा एल0डी0 रोड तक के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की जांच आख्या दि0 18.04.2019 व 20.05.2019 में परिलक्षित अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री राजित राम, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-संतरविदास नगर (भदोही) सम्प्रति प्रखण्ड-झांसी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-संतरविदास नगर (भदोही) को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें। प्रकरण में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 01 माह में जांच कार्यवाही पूर्ण कर पत्रावली पर अवगत कराये जाने के आदेश दिये गये है। अत: प्रत्येक स्तर पर व्यक्तिगत ध्यान/शीघ्रता अपेक्षित है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव

संख्या- 90/2019/1302(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 के पत्र सं0-सी-101/पीए-सीटीई/2866-164/09/18-19 दि0 18.04.19 व सं0- जी-13/पीए-सीटीई/2866-164/09/18-19 दि0 20-05-2019 की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री कटियार के विरूद्ध आरोपपत्र गठित कर शासन को 03 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (संलग्नक यथोक्त)

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग,प्रखण्ड-संतरविदास नगर (भदोही)।

4- श्री राजित राम, तत्का0 अधि00अभि0, ग्रा0अभि0वि0,प्रखण्ड-संतरविदास नगर सम्प्रति प्रखण्ड-झांसी द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in